1. In the court of Abhishek K. Das, Sessions Judge, East Champaran at Motihari,
A.B.P. No. 3234/2026, dt. 02.07.2026. Bindu Devi @ Bindu Sinha vrs. State of Bihar,

न्यायालय,सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–3234 / 2026

उपस्थित :– अभिषेक कुमार दास
सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

1. बिन्दु देवी उर्फ बिन्दु सिन्हा पति रविन्द्र श्रीवास्तव उम्र करीब 52 वर्ष
ग्राम–मंझन छपरा, थाना– मेहसी, जिला–पूर्वी चम्पारण.....आवेदिका।

बनाम

बिहार सरकार .....विपक्षी ।

आवेदिका की ओर से – श्री सुमन कुमार सिन्हा ,विद्वान अधिवक्ता ।
अभियोजन की ओर से – श्री खूबलाल प्रसाद, विद्वान लोक अभियोजक ।

आदेश

02.07.2026 यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदिका / अभियुक्ता बिन्दु देवी उर्फ बिन्दु सिन्हा की ओर से मेहसी थाना कांड संख्या–252 / 2021, विचारण वाद संख्या– 2855 / 2026, धारा– 341, 323, 354, 307, 504 / 34 भा.दं.सं. में अपनी गिरफ्तारी की आशंका होने पर दाखिल किया गया है।

अभियोजन के अनुसार सूचिका सकली देवी के देवर बच्चु राय को रविन्द्र श्रीवास्तव, रविन्द्र श्रीवास्तव की पत्नी गेट से घसीटते हुए ग्रील के अंदर बंद करके मारपीट करने लगे , वह मना करती रही, रविन्द्र श्रीवास्तव के हाथ में लोहे का रड एवं उसकी पत्नी के हाथ में डंडा था। रविन्द्र श्रीवास्तव उसके देवर बच्चु राय के सर पर लोहा के रड से मारा, जिससे सर फट गया, ग्रामीण आए और हल्ला–गुल्ला किए तथा मेहसी थाना को सुपूर्द कर दिए।

अग्रिम जमानत आवेदन की कंडिका–2, में कहा गया है कि आवेदिका के द्वारा पूर्व में अन्य कोई नियमित / अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है तथा कंडिका–3 में कहा गया है कि आवेदिका का कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है।

आवेदिका / अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन में कथन किया गया है कि आवेदिका द्वारा प्राथमिकी में आरोपित घटना को कारित नहीं किया गया है। आरोप–पत्र केवल सह अभियुक्त रविन्द्र श्रीवास्तव के विरूद्ध समर्पित किया गया है लेकिन आवेदिका के विरूद्ध भी अपराध का संज्ञान लिया गया है। आवेदिका के विरूद्ध

केवल हाथ में डंडा रखने का आरोप है। अब उभय पक्षों के बीच मामला सुलह हो गया है। सह अभियुक्त रविन्द्र श्रीवास्तव को अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 1499/2022 के द्वारा अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जा चुका है।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

उभय पक्षों को सुना। प्राथमिकी की सच्ची प्रमाणित प्रति एवं कांड दैनिकी की अभिप्रमाणित प्रति का अवलोकन किया। कांड दैनिकी की कंडिका– 27 में जख्मी बच्चु राय का जख्म प्रतिवेदन अंकित है, जिसमें चिकित्सक की राय में जख्मी के सर के दाहिने तरफ 1"x1/8"x1/8" का कटा हुआ जख्म पाया गया है, जिसे साधारण प्रकृति का बताया गया है। प्राथमिकी में आवेदिका के विरूद्ध हाथ में डंडा रखने का आरोप है। आवेदिका के विरूद्ध मारपीट की घटना कारित का विनिर्दिष्ट आरोप नहीं है। आरोप–पत्र में आवेदिका की संलिप्तता नहीं पाया गया है। जख्मी बच्चु राय के सर पर लोहा के रड से मारने का आरोप सह अभियुक्त रविन्द्र श्रीवास्तव के विरूद्ध है, जिसे अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 1499/2022 के द्वारा अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। अग्रिम जमानत आवेदन की कंडिका–3 के अनुसार आवेदिका का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आवेदिका/अभियुक्ता की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को स्वीकृत किया जाता है तथा आवेदिका/अभियुक्ता बिन्दु देवी उर्फ बिन्दु सिन्हा द्वारा आदेश तिथि के एक माह के अन्दर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में मो0 10000/–रु. के बंध–पत्र एवं इतने ही राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद समाधान पर धारा– 438(2) बी.एन.एस.एस. के शर्तों के अधीन इस शर्त के साथ मुक्त किए जाने का आदेश दिया जाता है कि आवेदिका विचारण में सहयोग करेगी।

लेखापित

ह0/–
सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।
दिनांक 02.07.2026